प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/आ0 सेवाएं/122/2014–15/3085-2 दिनांक– 13. 10.2014

विषय– **हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी दिशा–निर्देश।**

महोदय/महोदया,

वर्तमान मातृ मृत्यु दर के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 16000 प्रसूताओं की मृत्यु हो रही है। जिसका मुख्य कारण प्रसूताओं की समय पर ए0एन0सी0 जांच नहीं होना एवं उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला का समय पर चिन्हीकरण एवं उपचार नहीं होना भी है। यदि प्रसूताओं को सभी ए0एन0सी0 जांचें समय पर उपलब्ध हो जायें एवं उच्च खतरों को चिन्हित कर उनका उपचार एवं नियमित फालोअप किया जाये तो राज्य की मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।

1. <u>हाई रिस्क प्रेगनेन्सी से होने वाली मृत्यु के कारण</u> कई हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं:–
   - रक्त स्त्राव (एन्टी पार्टम/पोस्ट पार्टम)
   - संक्रमण (असुरक्षित गर्भपात)
   - गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
   - गम्भीर एनीमिया
   - ओब्सट्रक्टेड लेबर (अटका हुआ प्रसव)
   - अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियन्त्रित हो जायें जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, टी0बी0, मलेरिया आदि।
2. <u>गर्भावस्था में हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण हेतु मुख्य बिन्दु</u> निम्नानुसार हैं:–

(अ) पूर्व की गर्भावस्था से सम्बन्धित हाई रिस्क फैक्टर	(ब) वर्तमान गर्भावस्था के हाई रिस्क फैक्टर
• पूर्व में मृत शिशु का जन्म • पूर्व में नवजात शिशु की मृत्यु • पूर्व में प्री टर्म शिशु पैदा होना • पूर्व में बार–बार गर्भपात होना • नवजात शिशु का ब्लड ग्रुप/आर0एच0 सम्बन्धी विकार, हिमोलिटिक बीमारी • पूर्व में कम वजन का शिशु पैदा होना (2.5 किग्रा से कम) • एक्लेम्पसिया की हिस्ट्री या प्री एक्लेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर/झटके) • पूर्व में सीजेरियन होना • पूर्व में भ्रूण में जन्मजात विकृति की हिस्ट्री • पूर्व के प्रसव में पी0पी0एच0 की हिस्ट्री	• वर्तमान के भ्रूण की असामान्य स्थिति • प्लेसेन्टा की विकृति या असामान्य स्थिति • प्री एकलेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर/पेशाब में एल्ब्यूमिन/सूजन) • 6ठवीं बार गर्भवती होना • पोली या ओलीगोहाईड्रॉम्नियोस • मधुमेह, गुर्दा रोग, • गम्भीर एनीमिया • वेजाईनल रक्त स्त्राव • अत्यधिक तम्बाकू एवं अल्कोहल का सेवन • एक्टोपिक प्रेगनेन्सी

(स) फिजिकल रिस्क फैक्टर	(द) मेडिकल हाई रिस्क फैक्टर (निम्न रोगों की हिस्ट्री)
• आयु 15 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक • छोटा कद (145 सेमी0 से कम) • सर्विक्स/यूटरस की विकृति • माँ का वजन कम होना (35 किग्रा0 से कम)	• सीवियर एनीमिया • उच्च रक्तचाप • हृदय रोग • मधुमेह • गुर्दा रोग • एपिलेप्सी • क्षय रोग • थायरॉयड • TORCH पॉजिटिव • HIV/HbsAg पॉजिटिव

3. कार्यक्रम क्रियान्वयन–

1. इस कार्यक्रम के लिये अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 ही नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
2. सभी स्वास्थ्य इकाई प्रभारियों को हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाये एवं एक रणनीति विकसित की जाये।
3. इसके लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की एक बैठक कर "हाई रिस्क प्रेगनेन्सी" (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप" विषय पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाय जिससे वे कार्यक्रम का अनुश्रवण कर सकें।
4. ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0/एच0वी0 को "हाई रिस्क प्रेगनेन्सी" (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप" के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के अवयव व महत्ता पर प्रकाश डालें। एम0सी0टी0एस0 व एच0एम0आई0एस0 में सूचनाओं के अंकन पर भी ज्ञानवर्धन करें।
5. सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दें कि किसी भी हाई रिस्क फैक्टर के होने की स्थिति का पता लगाने हेतु गर्भवती महिला की कम से कम 04 प्रसव पूर्व जाँच (ए0एन0सी0 जाँच) आवश्यक एवं नियमित रूप से की जाये। ए0एन0सी0 जाँच के दौरान निम्न जाँचे मुख्यतः आवश्यक रूप से की जायेः–
    - हीमोग्लोबिन
    - रक्तचाप
    - वजन
    - मूत्र में शर्करा व एल्बयुमिन
    - पेट की जाँच
6. ए0एन0सी0 जाँच के दौरान गर्भवती महिला में किसी भी प्रकार के खतरे के लक्षण का पता चलता है तो ऐसी गर्भवती महिला को **"उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला"** के रूप में चिन्हित कर उसे चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध निःशुल्क रैफरल ट्रान्सपोर्ट के द्वारा उच्च चिकित्सा संस्थान पर उपचार एवं प्रबन्धन हेतु तुरन्त रैफर करें।
7. उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला की नियमित ए0एन0सी0 जाँच, उपचार एवं फालोअप किया जाये।

8. उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला के "एम0सी0पी0 कार्ड" के प्रथम पृष्ठ के ऊपर बायें तरफ "HRP" लाल रंग से अंकित कर दें, ताकि महिला की जाँच एवं उपचार प्राथमिकता के आधार पर की जाये।
9. जिले में किसी भी चिकित्सा संस्थान पर उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जा सकती है।
10. हाई रिस्क (उच्च खतरे वाली वाली गर्भावस्था) गर्भवती महिलाओं की सूचना एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में "कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी" वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित किया जाये एवं इसका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये।
11. प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।

कार्यक्रम पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

- प्रत्येक उपकेन्द्र, ब्लॉक स्तरीय एवं जनपद स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर पर गर्भवती महिलाओं की जाँच व हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण की सुविधा सुनिश्चित कराने की पूर्ण जिम्मेदारी चिकित्सा इकाई के प्रभारी, ब्लॉक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी की होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी, ब्लॉक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा नयी चिन्हीकृत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना के एम0सी0टी0एस0 पर अंकन का अनुश्रवण करेंगे। अपने जनपद/ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 10–15 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करें।
- इन चिन्हित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की सूचना एम0सी0टी0एस0एवं एच0एम0आई0एस0 दोनों पर ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सुनिश्चित करें कि एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर भरी जा रही सूचना में किसी भी प्रकार की असमानता न हो।

इन प्रयासों से राज्य में सुरक्षित मातृत्व की संख्या में बढ़ोत्तरी कर प्रतिवर्ष हो रही मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले में हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फालोअप से सम्बन्धित जानकारी जिले के सभी चिकित्साकर्मियों को देना सुनिश्चित करायें एवं हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फालोअप कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीय,

10/10/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/आ0 सेवाएं/122/2014–15/3085-2-8 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
7 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8 गार्ड फाइल।

9/10/10/19

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक